बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं0सं09/आ0–05–16/2008 /स्वा0/पटना,दिनांक / डा0 कन्हैया सिंह चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, झंझारपुर, मधुबनी के विरूद्ध सिविल सर्जन मधुबनी के पत्रांक 1993 दिनांक 27.7.07 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 26.12.2005 से अनाधिकृत रूप से कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0 1067(9) दिनांक 9.10.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

संचालन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा विभागीय कार्यवाही में जॉच प्रतिवेदन में आरोपी चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है, परन्तु जिला पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में यह अंकित किया गया है कि डा0 कन्हैया सिंह जानबूझकर लम्बी अवधि तक अवकाश में रहे।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन की विभागीय स्तर पर समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उनके आरोप को प्रमाणित पाते हुए उनके विरूद्ध विभागीय अधिसूचना 915(9) दिनांक 9.10.2014 द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत निम्न दंड अधिरोपित किए गए :–

1. निंदन
2. वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक
3. ''काम नहीं तो वेतन नहीं'' के सिद्धान्त के आधार पर इन्हें कोई वेतनादि देय नहीं होगा। इस अवधि के लिए इन्हें असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जायगा।

उक्त दंडादेश के विरूद्ध डा0 कन्हैया सिंह ने दिनांक 17.11.14 के द्वारा अभ्यावेदन समर्पित किया है। उक्त अभ्यावेदन की सम्यक समीक्षा की गई एवं यह पाते हुए कि उनके द्वारा कोई नया तर्क अथवा तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसपर विचार करने की आवश्यकता है, उनके अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

नागेन्द्र 14.5.15

(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांकः 410(9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 15/5/2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/ अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें दरभंगा प्रमंडल दरभंगा/सिविल सर्जन दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 कन्हैया सिंह चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, झंझारपुर, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10 एवं 17 स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

नागेन्द्र 14.5.15

सरकार के अवर सचिव,